

संचिका संख्या-15/औ० -01-09/2025 -/स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

कृष्णा उराँव

सरकार के उप सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी,

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 2025

विषय : शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबंध में कहना है कि वित्त विभाग के सकल्प संख्या -3ए-2-वे०पु० (परि० भत्ता) - 22/2009-12414 वि० (2) दिनांक - 31.12.2009, 7040, दिनांक - 29.07.2011 एवं 8043, दिनांक - 11.10.2017 के आलोक में निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के कार्यालय में औषधि निरीक्षक के पद पर पदस्थापित श्री देव कुमार को उनके योगदान की तिथि से वेतन स्तर - 09 के पदाधिकारी हेतु अनुमान्य शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त पदाधिकारी को कार्यालय आने हेतु सरकारी वाहन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(कृष्णा उराँव)

सरकार के उप सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-711(15).....

पटना/दिनांक -10/06/2025

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य भवन, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं श्री देव कुमार, औषधि निरीक्षक, मुख्यालय, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।